पत्रांक–DHEsec2 / संबंधन–27 / 2020 HTESD 988/
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल्ला, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002.

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा,

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
सिद्धो–कान्हु मुर्मू, विश्वविद्यालय, दुमका,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
नीलाम्बर–पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू।

राँची, दिनांक 04.05.2023.

विषयः– **बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 / एम0एड0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के छह विश्वविद्यालयों से बी0एड0 / एम0एड0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के समीक्षोपरांत समिति द्वारा अद्यतन Statute के प्रावधान के आलोक में की गयी अनुशंसा के आधार पर कंडिका–2 में अंकित शर्तो के अधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निम्नांकित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
1.	जी0डी0 बगेड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गिरिडीह।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
2.	रमेश प्रसाद यादव, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोडरमा।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
3.	सुभाष, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलडीहा, गिरिडीह ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
4.	श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रविन्द्र पथ हजारीबाग ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
5.	ग्रीट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राजधनवार, गिरिडीह ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
6.	के0एन0 बक्सी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गिरीडीह ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
7.	देव कॉलेज, ऑफ एजुकेशन मुकुन्दगंज, हजारीबाग।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
8.	लाला प्रीतम, बी0एड0 कॉलेज, जितनी मोड, चतरा ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
9.	ग्रिजली, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुमो, झुमरीतिलैया, कोडरमा।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
10.	स्वामी धर्मबंधु, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुकुन्दगंज, हजारीबाग ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
11.	डॉ0 एस0 राधाकृष्णन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सुकरीगढ़ा, लारी, रामगढ़ ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
12.	बी0एन0 साहा डी0ए0भी0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिरसिया, गिरिडीह।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
13.	माँ विध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
14.	दौलत महतो, मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग, कॉलेज, विष्णुगढ़, हजारीबाग ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
15.	एस0बी0एम0 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बभनवै, हजारीबाग।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
16.	गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
17.	रामकृष्ण विवेकानन्द, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत

18.	महर्षि परमहंस, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हुहुवा, रामगढ़।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
19.	कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लाराबाद, कोडरमा।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
20.	स्कॉलर, बी0एड0 कॉलेज, गिरिडीह।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
21.	झारखण्ड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, झुमरीतिलैया, कोडरमा।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत
22.	माँ विध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग ।	2023–25	एम0एड0	स्वीकृत
23.	रामशोभा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटूपालू, रामगढ़ ।	2023–25, 2024–26, 2025–27	बी0एड0	स्वीकृत

2. शर्तें:–

I. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।

II. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

III. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्धीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

V. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

VI. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रेषित किया गया है, उनसे संबंधित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांकः–वि0भा0वि0/स्था0/525/2024 दिनांक 21.02./2024

प्रतिलिपिः–

1. संबंधित महाविद्यालय सचिव/प्राचार्य के सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।
2. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, रॉची।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
5. स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायकों को कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

21/02/24
कुलसचिव

21/2/2024

पत्रांक-DHESec2/संवंधन-27 / 2020 / HTESD.....443

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.

प्रेषक,

रामनिवास यादव,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका,
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।

राँची, दिनांक- 15/03/2024

विषयः- बी०एड० महाविद्यालयों को बी०एड०/एम०एड० पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में संचालित बी०एड०/एम०एड० महाविद्यालयों को विभाग स्तर पर संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाना है। उल्लेखनीय है कि Statute relating to admission and exclusion of B.Ed. other than those managed and maintained by the University में वर्णित प्रावधान के अनुसार 20 मार्च, 2024 तक विश्वविद्यालयों से तत्संबंधी प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाना है।

निदेशालीय पत्रांक-988 दिनांक-04.05.2023 तथा पत्रांक-1324 दिनांक-15.06.2023 के द्वारा विभिन्न बी०एड० महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2023-25, 2024-26 एवं 2025-27 के लिए बी०एड०/एम०एड० पाठ्यक्रम में संबंधन दीर्घीकरण प्रदान शर्त के साथ किया गया है। शर्त में यह उल्लेखित है कि जिन बी०एड० महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि जिन महाविद्यालयों को बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-25, 2024-26 एवं 2025-27 के लिए संबंधन दीर्घीकरण दिया गया है, उनके NAAC Accreditation से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सत्र 2024-26, 2025-27 एवं 2026-28 के लिए संबंधन दीर्घीकरण का प्रस्ताव दिनांक-20 मार्च, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

15/3/24

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-DHESec2/संबंधन-27 / 2020 / HTESD.....443 राँची, दिनांक-15/03/2024

प्रतिलिपि:-संबंधित प्राचार्य, सभी बी०एड० महाविद्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/24

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।